रजिस्टर्ड नं0-एल0डब्लू0/एन0पी0-4
लाइसेन्स सं0-डब्लू0पी0-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, शनिवार, 24 मार्च, 2012 ई० (चैत्र 4, 1934 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड-क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड-ख–नगर पंचायत, खण्ड-ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ–जिला पंचायत।

खण्ड-घ–जिला पंचायत

5 मार्च, 2012 ई0

सं0 1931/23-एल0बी0ए0-51(1990-91)–जिला पंचायत झांसी ने अपने ग्रामीण क्षेत्रों में उ0 प्र0 जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 239(2)(घ)(च) के अन्तर्गत आटा चक्की, आरा मशीन तथा कोल्हू आदि को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु विज्ञप्ति संख्या 1351/23-जी0ए0-23(71-72), दिनांक 26 जनवरी, 1972 के अन्तर्गत प्रभावी किये गये उपनियमों एवं प्राविधानित लाइसेन्स शुल्क की दरें, जो विज्ञप्ति संख्या 6202-03/23-एल0बी0ए0(90-91), दिनांक 08 जुलाई, 1991 एवं संख्या 120-21/23-एल0बी0ए0-51(1990-91), दिनांक 05 अक्टूबर, 2002 द्वारा अन्तिम बार संशोधित हुई है, में पुनः संशोधित किये जाने का प्रस्ताव जिला पंचायत, झांसी की बैठक दिनांक 15 अप्रैल, 2011 में अन्य प्रस्ताव संख्या 3(7) पारित किया है तथा जिसमें प्रचार-प्रसार के बाद कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 यथा संशोधित वर्ष 1994 की धारा 242(2) के अधीन अधोहस्ताक्षरी द्वारा पुष्टिकृत किया जाता है तथा उक्त धारा के प्रयोजन से निम्नवत् प्रकाशित किया जाता है–

क्र0सं0	प्रचलित/प्रभावी दरें	संशोधित/पुष्टिकृत दरें (रु0 में)
1	2	3
1	जिन व्यक्तियों के इंजन 10 हार्स पावर या इससे अधिक के होंगे उनकी लाइसेन्स फीस रु0 65.00 प्रतिवर्ष, प्रति इंजन तथा 10 हार्स पावर से कम के इंजन द्वारा चलने वाली चक्की की लाइसेंसिंग फीस रु0 52.00 वार्षिक प्रति इंजन होगी। प्रतिबन्ध यह है कि जिला झांसी के ग्रामीण क्षेत्रों में चक्की का व्यवसाय करने वाले प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के लिए आवश्यक होगा कि वह प्रत्येक नये वित्तीय वर्ष का लाइसेन्स 30 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लें। ऐसा न करने पर रु0 10.00 प्रतिमाह के हिसाब से 01 अप्रैल से भुगतान की तिथि तक अतिरिक्त लाइसेन्स फीस देनी होगी। कुल देय लाइसेन्स फीस का भुगतान न करने के कारण वैधानिक कार्यवाही किये जाने पर उसके द्वारा समझौता करने की दशा में उसे मूल लाइसेन्स फीस व अतिरिक्त लाइसेन्स फीस के साथ रु0 33.00 समझौता फीस के रूप में जिला निधि में जमा करना होगा।	जिन व्यक्तियों के इंजन 10 हार्स पावर या इससे अधिक के होंगे उनकी लाइसेन्स फीस रु0 300.00 (तीन सौ रुपया) प्रतिवर्ष, प्रति इंजन तथा 10 हार्स पावर से कम के इंजन द्वारा चलने वाली चक्की की लाइसेन्स फीस रु0 200.00 (दो सौ रुपया) वार्षिक प्रति इंजन होगी। प्रतिबन्ध यह है कि जिला झांसी के ग्रामीण क्षेत्रों में चक्की का व्यवसाय करने वाले प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के लिए आवश्यक होगा कि वह प्रत्येक नये वित्तीय वर्ष का लाइसेन्स 30 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लें। ऐसा न करने पर रु0 20.00 प्रतिमाह के हिसाब से 01 अप्रैल से भुगतान की तिथि तक अतिरिक्त लाइसेन्स फीस देनी होगी। कुल देय लाइसेन्स फीस का भुगतान न करने के कारण वैधानिक कार्यवाही किये जाने पर उसके द्वारा समझौता करने की दशा में उसे मूल लाइसेन्स फीस व अतिरिक्त लाइसेन्स फीस के साथ रु0 80.00 (अस्सी रुपया) समझौता फीस के रूप में जिला निधि में जमा करना होगा।

Scanned with OKEN Scanner

1	2	3
	आटा की चक्कियों में यदि रूई धुनने, तेल पेरने, धान कूटने, चारा काटने, लकड़ी चीरने तथा खरादने की मशीनरी की फिटिंग करने का काम लिया जायेगा, तो उसे अतिरिक्त रु0 50.00 प्रति धंधा प्रतिवर्ष भुगतान करके ऐसे धंधों का लाइसेन्स लेना होगा।	आटा की चक्कियों में यदि रूई धुनने, तेल धान कूटने, चारा काटने, लकड़ी चीरने तथा की मशीनरी की फिटिंग करने का काम लिया तो उसे अतिरिक्त रु0 100.00 (सौ रुपया) प्रति प्रतिवर्ष भुगतान करके ऐसे धंधों का लाइसेन्स होगा।

उक्त संशोधित दरें इस विज्ञप्ति के गजट के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगी।

सत्यजीत ठाकुर,
आयुक्त,
झांसी मण्डल, झांसी।

पी0एस0यू0पी0--52 हिन्दी गजट--भाग 3-2011 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक--निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

सं0 866/23-एल0बी0ए0-06(1990-91)–जिला पंचायत, झांसी ने अपने ग्रामीण क्षेत्रों में फैक्ट्री व मिल को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु विज्ञप्ति संख्या 1104-05/23-कनिष्ठ सहा0-6(1990-91), दिनांक 21 जनवरी, 1991 एवं संख्या 4681-82/23-एल0बी0ए0-06(1990-91), दिनांक 23 जून, 2003 के अन्तर्गत प्रभावी किये गये उपनियमों में प्राविधानित लाइसेन्स शुल्क की दरें संशोधित किये जाने का प्रस्ताव उ0 प्र0, क्षेत्र समिति व जिला पंचायत अधिनियम, 1961 यथा संशोधित वर्ष 1994 की धारा 239(2) के अन्तर्गत किया है, जो उ0 प्र0 क्षेत्र प्रंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित वर्ष 1994) की धारा 242(2) के अधीन अधोहस्ताक्षरी द्वारा पुष्टिकृत किया जाता है तथा उक्त धारा के प्रयोजन से निम्नवत् प्रकाशित किया जाता है–

संशोधन

क्र0सं0	नाम इकाई	प्रचलित/वर्तमान दरें प्रतिवर्ष	संशोधित दरें
1	2	3	4
		रु0	रु0
1	गन्ना पेरनें का कोल्हू/क्रशर	2,900.00	2,900.00
2	चूरा काटने की मशीन	145.00	300.00
3	चीनी मिल	2,900.00	5,000.00
4	सल्फर प्लान्ट	2,900.00	5,000.00
5	दूध का पाउडर तथा अन्य सामान बनाने की फैक्ट्री/मिल	2,900.00	5,000.00
6	गाटर/सरिया बनाने की मिल/फैक्ट्री	2,900.00	5,000.00
7	मशीन के पुर्जे कृषि यंत्र बनाने का कारखाना	725.00	1,500.00
8	फल तथा सब्जी आदि के सुरक्षित रखने का कोल्ड स्टोरेज	2,900.00	5,000.00
9	बर्फ/आईस फैक्ट्री	725.00	1,500.00
10	चावल कूटने, आटा पीसने और दाल बनाने का मिल (आटा चक्की छोड़कर)	1,450.00	3,000.00
11	चीनी मिट्टी का सामान बनाने की मिल	725.00	1,500.00
12	दफ्ती या कागज बनाने की मिल	725.00	1,500.00
13	रबड़ व प्लास्टिक की वस्तुएं बनाने की मिल	725.00	1,500.00
14	शीशे का सामान बनाने की मिल	1,450.00	3,000.00
15	सीमेन्ट कांक्रीट ह्यूम पाइप बनाने का कारखाना (गिट्टी कांक्रीट की मशीन) को छोड़कर	1,450.00	3,000.00
16	सीमेन्ट/खाद बनाने का कारखाना	2,900.00	10,000.00
17	कलेण्डर प्लान्ट (कपड़े की फिनिशिंग)	1,450.00	3,000.00
18	कपड़ा बनाने व सूत कारखाना (खादी कमीशन छोड़कर)	1,450.00	3,000.00
19	हड्डी पीसने की मिल	1,450.00	3,000.00
20	दवाइयां बनाने का कारखाना	1,450.00	3,000.00
21	रंगाई चमड़ा रंगने का मिल	725.00	1,500.00
22	बीड़ी, सिगरेट बनाने का कारखाना	725.00	1,500.00
23	उक्त के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनार्थ स्थापित कारखाने/मिल	725.00	1,500.00

उक्त संशोधित दरें इस विज्ञप्ति के गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगी।

सत्यजीत ठाकुर,
आयुक्त,
झांसी मण्डल, झांसी।

पी0एस0यू0पी0–46 हिन्दी गजट–भाग 3–2012 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

Scanned with OKEN Scanner

10 जनवरी, 2012 ई0

सं0 970/23-एल0बी0ए0-47 (1972-73)–जिला पंचायत, झांसी ने अपने ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले बाजारों व दुकानों को नियंत्रित एवं विनियमित करने के सम्बन्ध में लाइसेन्स शुल्क आरोपित करने हेतु विज्ञप्ति संख्या 4147/23-जी0ए0-47 (1972-73), दिनांक 11 जून, 1972 के अन्तर्गत प्रभावी किये गये उपविधियों में प्रावधानित लाइसेन्स शुल्क की दरें, जो विज्ञप्ति संख्या 1140-41/23-कमि0सहा0-47 (1972-73), दिनांक 28 जनवरी, 1991 एवं संख्या 4675-76/23-एल0बी0ए0-47 (1972-73), दिनांक 23 जून, 2003 द्वारा अन्तिम बार संशोधित हुई हैं, पुनः संशोधित किये जाने का प्रस्ताव किया है, जिसे उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित वर्ष 1994) की धारा 242(2) के अधीन अधोहस्ताक्षरी द्वारा पुष्टिकृत किया जाता है तथा उक्त धारा के प्रयोजन से निम्नवत् प्रकाशित किया जाता है–

क्र0सं0	नाम इकाई	प्रचलित/वर्तमान दरें	संशोधित/पुष्टि हेतु प्रस्तावित दरें
		रु0	रु0
1	कपड़ा, परचून आदि की सम्मिलित दुकान	145.00	145.00
2	केवल कपड़ा या परचूनी की छोटी दुकान	73.00	73.00
3	गल्ले किराने की बड़ी दुकान जिसमें गल्ला दस कुन्टल या उससे अधिक	145.00	145.00
4	गल्ले किराने की छोटी दुकान जिसमें गल्ला दस कुन्टल से कम हो	73.00	73.00
5	सोना-चांदी की बड़ी दुकान	725.00	1,000.00
6	सोना-चांदी के आभूषण बनाने वाली दुकान तथा सुनार की दुकान	363.00	500.00
7	मेडिकल स्टोर या दवा की दुकान	145.00	145.00
8	प्रत्येक होटल या हलवाई की दुकान	145.00	145.00
9	पुस्तक या कापी की दुकान	145.00	145.00
10	लोहे की बड़ी दुकान	145.00	300.00
11	लोहे की छोटी दुकान	73.00	73.00
12	चाय पानी की सम्मिलित दुकान	36.00	36.00
13	केवल चाय या पानी की दुकान	29.00	29.00
14	पेट्रोल पम्प	725.00	3,000.00
15	शरबत/लस्सी/शीतल पेय/सोडा वाटर की दुकान	36.00	36.00
16	घी/दूध की दुकान	73.00	73.00
17	इमारती लकड़ी की दुकान	145.00	500.00
18	ईंधन की लकड़ी की दुकान	73.00	73.00
19	अन्य दुकानें जिनकी मलकियत 600 से कम है	29.00	29.00
20	शराब की दुकान	435.00	2,000.00
21	अन्य प्रकार के व्यवसाय की दुकानें	145.00	145.00

उक्त संशोधित दरें इस विज्ञप्ति के गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगी।

सत्यजीत ठाकुर,
आयुक्त,
झांसी मण्डल, झांसी।

पी0एस0यू0पी0–44 हिन्दी गजट–भाग 3–2011 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

Scanned with OKEN Scanner

३६

रजिस्टर्ड नं०-एल०डब्लू०-
लाइसेन्स सं०-डब्लू०पी०-4
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, शनिवार, 4 फरवरी, 2012 ई० (माघ 15, 1933 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड-क--नगरपालिका परिषद्, खण्ड-ख--नगर पंचायत, खण्ड-ग--निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ--जिला पंचायत।

खण्ड-घ--जिला पंचायत

18 जनवरी, 2012 ई०

सं० 1077/23-एल०बी०ए०-06(1990-91)-जिला पंचायत, झांसी ने अपने ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले बाजारों व दुकानों को नियंत्रित एवं विनियमित करने के सम्बन्ध में लाइसेन्स शुल्क आरोपित करने हेतु विज्ञप्ति संख्या 4679-80/23-एल०बी०ए०-77(1992-93) एवं संख्या 1426/23-जे०ए०-16(1973-74), दिनांक 26 जनवरी, 1974 एवं संख्या 4163-64/23-एल०बी०ए०-77(1992-93), दिनांक 04 अगस्त, 1993 द्वारा अन्तिम बार संशोधित हुई है, पुनः संशोधित किये जाने का प्रस्ताव किया है, जिसे उ० प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित वर्ष 1994) की धारा 242(2) के अधीन अधोहस्ताक्षरी द्वारा पुष्टिकृत किया जाता है तथा उक्त धारा के प्रयोजन से निम्नवत् प्रकाशित किया जाता है--

क्रम-संख्या	नाम इकाई	प्रचलित/वर्तमान दरें	संशोधित/पुष्टि हेतु प्रस्तावित दरें
1	2	3	4
		रु०	रु०
1	निजी कार्यों के लिए चूने के भट्ठे	36.00	100.00
2	व्यापार के लिए चूने के भट्ठे	73.00	150.00
3	निजी कार्यों के लिए सुर्खी गुम्मा, ककईया, ईंट भट्ठा	145.00	250.00
4	व्यापार के लिए सुर्खी गुम्मा, ककईया, ईंट भट्ठा	725.00	1,250.00
5	व्यापार के लिए कोयला	218.00	300.00
6	निजी कार्य के लिए कोयला	145.00	200.00
7	मिट्टी के बर्तन बनाने का भट्ठा	29.00	100.00

उक्त संशोधित दरें इस विज्ञप्ति के गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगी।

Scanned with OKEN Scanner

35

20 जनवरी, 2012 ई0

सं0 1112/23-एल0बी0ए0-06(1990-91)--इस कार्यालय के पत्रांक 1077/23-एल0बी0ए0-06(1990-91), 18 जनवरी, 2012 के द्वारा जारी विज्ञप्ति की प्रथम व द्वितीय पंक्ति में निम्न अंश संशोधित किया जाता है--

विज्ञप्ति की प्रथम व द्वितीय पंक्ति से निकाले जाने वाला अंश	विज्ञप्ति की प्रथम व द्वितीय पंक्ति में निकाले गये अंश के स्थान पर शामिल करके पढ़े जाने वाला अंश
1	2
"जिला पंचायत, झांसी ने अपने ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले बाजारों व दुकानों को नियंत्रित एवं विनियमित करने के सम्बन्ध में लाइसेन्स शुल्क आरोपित करने हेतु"	"जिला पंचायत, झांसी ने पंचायत की आय बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले ईंट, चूना, गुम्मा, नरिया, कोयला व मिट्टी के बर्तन बनाने व पकाने आदि के भट्ठों को नियंत्रित करने तथा उन पर लाइसेन्स शुल्क आरोपित करने हेतु"

तदनुसार उपरोक्त दिनांक 18 जनवरी, 2012 से निर्गत विज्ञप्ति की प्रथम व द्वितीय पंक्ति से स्तम्भ-1 के अंश को निकालकर उसके स्थान पर स्तम्भ-2 में उल्लिखित अंश शामिल करते हुए विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी।

सत्यजीत ठाकुर,
आयुक्त,
झांसी मण्डल, झांसी।

रजिस्टर्ड नं0-एन0डी0-4
लाइसेन्स सं0-डब्लू0पी0-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, शनिवार, 28 सितम्बर, 2013 ई० (आश्विन 6, 1935 शक संवत्)

भाग-3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड-पत्र, खण्ड-क—नगरपालिका परिषद्, खण्ड-ख—नगर पंचायत, खण्ड-ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ—जिला पंचायत।

खण्ड-घ—जिला पंचायत

11 सितम्बर, 2013 ई0

सं0 3683-64 / 23-एल0बी0ए0-39(2012-13)—जिला पंचायत, झांसी ने आय बढ़ाने के दृष्टिकोण से उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 यथा संशोधित 1994 की धारा 239(2)ग(ख) के अन्तर्गत राइस मिल, टेलीफोन / मोबाइल टावर, स्माल इण्डस्ट्रीज, मुर्गा / मुर्गी फार्म, बालू मोरम, बजरी खण्डा, गिट्टी, पत्थर आदि की टाल, टू-व्हीलर, फोर-व्हीलर की बिक्री की दुकान, बेकर बिस्कुट फैक्ट्री, पिपरमेन्ट प्लान्ट, विवाह, नर्सिंग होम क्लीनिक / अस्पताल, शामयाना / डीजे आदि को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु उपविधि निर्मित की गयी है। जिसका प्रस्ताव जिला पंचायत, झांसी ने अपनी बैठक दिनांक 12 फरवरी, 2013 के अन्य प्रस्ताव संख्या 16 के अन्तर्गत सदन द्वारा पारित किया है। तदक्रम में उक्त अधिनियम की धारा 242(2) के अन्तर्गत दैनिक समाचार-पत्र, दैनिक जनता यूनियन, झांसी व दैनिक 'राष्ट्रबोध' झांसी में क्रमशः दिनांक 24 फरवरी, 2013 व 25 फरवरी, 2013 को निर्मित उपविधि का प्रकाशन कराते हुये एक माह के अन्दर आपत्तियां आमंत्रित की गयी थी किन्तु उक्त नियत समयावधि के अन्दर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, झांसी द्वारा निम्नलिखित व्यवसायों की उपविधि निर्मित करते हुये लाइसेन्स शुल्क निर्धारित कर प्रस्तावित किया है। प्रस्तावित संशोधन को पुष्टिकृत करते हुये उन्हें उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 242(2) के प्रयोजनार्थ निम्नवत् प्रकाशित किया जाता है-

उपविधि की दरें

क्रम संख्या	मद का नाम	निर्धारित शुल्क	सदन में चर्चा उपरान्त स्वीकृत निर्धारित शुल्क
1	2	1	4
		रु0	रु0
1	राइस मिल का लाइसेन्स शुल्क प्रतिवर्ष	10,000.00	10,000.00
2	टेलीफोन / मोबाइल टावर का लाइसेन्स शुल्क प्रतिवर्ष	10,000.00	15,000.00

Scanned with OKEN Scanner

1	2	3	4
		रु0	रु0
3	स्माल इण्डस्ट्रीज	10,000.00	10,000.00
4	बालू, मोरम, बजरी, खण्डा, मिट्टी, पत्थर आदि टाल	3,000.00	3,000.00
5	टू व्हीलर, तीन व्हीलर फोरव्हीलर की बिक्री की दुकान	5,000.00	10,000.00
6	पेपर बियरा फैक्ट्री	5,000.00	5,000.00
7	मुर्गी/मुर्गा फार्म	2,000.00	2,000.00
8	पिपरमेन्ट प्लान्ट टो कैण्डी	5,000.00	5,000.00
9	विवाह घर/नर्सिंग होम	5,000.00	5,000.00
10	शामियाना/डी0जे0	2,500.00	1,000.00
11	क्लीनिक/अस्पताल	2,000.00	2,000.00

स्तम्भ-4 में उल्लिखित दरें इस विज्ञप्ति के गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगी।

सं0 3665-66/23-एल0बी0ए0-39(2012-13)–जिला पंचायत, झांसी ने आय बढ़ाने के दृष्टिकोण से उ0प्र0 [illegible] पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 यथा संशोधित 1994 की धारा 239(2)ग(ख) के अन्तर्गत ईंटा, गुम्मा, कोयला आदि चूना टाइल्स, खपडा, मकराना/कोटा स्टोन, कोल्ड ड्रिंक/फल से लदे ट्रक/ट्रैक्टर/मिनी ट्रक वाहनों आदि को नियंत्रित/विनियमित करने सम्बन्धी नवीन प्रस्तावित उपविधि तैयार की है, जिसका प्रस्ताव [illegible] पंचायत, झांसी की बैठक दिनांक 17 अप्रैल, 2013 के प्रस्ताव संख्या 03 द्वारा सर्वसम्मति से पारित/स्वीकार [illegible] गया। उसी के क्रम में स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र, वी0पी0एन0 टाईम्स, झांसी में दिनांक 09 मई, 2013 को प्र[illegible] कराते हुये एक माह के अन्दर आपत्तियां आमंत्रित की गयी थीं, किन्तु उक्त नियत समयावधि के अन्दर कोई अ[illegible] प्राप्त नहीं हुई है। अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, झांसी द्वारा निम्नलिखित व्यवसायों की उपविधि निर्मित [illegible] हुये [illegible] शुल्क निर्धारित कर प्रस्तावित किया है। प्रस्तावित दरों को पुष्टिकृत करते हुये उन्हें उ0प्र0 क्षेत्र [illegible] तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 242(2) के प्रयोजनार्थ निम्नवत् प्रकाशित [illegible] है।

उपविधि की दरें

क्रम संख्या	वाहन का प्रकार	देय शुल्क प्रति वाहन प्रति [illegible]
1	2	3
		रु0
1	ईंटा, गुम्मा, चूना/कोयला, मिट्टी सम्वाहक ट्रक/06 पहियों से बड़े ट्रक	100.00 प्रति ट्रक/200.00 प्रति [illegible]
2	ईंटा, गुम्मा, चूना/कोयला, मिट्टी सम्वाहक ट्रैक्टर ट्राली	75.00 प्रति ट्रैक्टर ट्राली
3	चूना/टाईल्स/खपडा/सुर्खी सम्वाहक ट्रक	50.00 प्रति ट्रक
4	चूना/टाईल्स/खपडा/सुर्खी सम्वाहक ट्रैक्टर ट्राली	25.00 प्रति ट्रैक्टर ट्राली
5	मकराना/कोटा स्टोन सम्वाहक ट्रक	150.00 प्रति ट्रक
6	मकराना/कोटा स्टोन सम्वाहक ट्रैक्टर ट्राली	75.00 प्रति ट्रैक्टर ट्राली
7	कोल्ड ड्रिंक/फल से लदे हुये ट्रक	100.00 प्रति ट्रक
8	कोल्ड ड्रिंक/फल से लदे हुये मिनी ट्रक	75.00 प्रति मिनी ट्रक

स्तम्भ-3 में उल्लिखित दरें इस विज्ञप्ति के गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगी।

बी0 बी0 सिंह
आयुक्त
झांसी मण्डल, झांसी।

पी0एस0यू0पी0–26 हिन्दी गजट–भाग 3–2013 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

Scanned with OKEN Scanner

35

रजिस्टर्ड नं०-एडी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्लू०पी०-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, शनिवार, 11 फरवरी, 2012 ई० (माघ 22, 1933 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड-क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड-ख–नगर पंचायत, खण्ड-ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ–जिला पंचायत।

खण्ड-घ–जिला पंचायत

30 दिसम्बर, 2011 ई०

सं0 864/23-एल0बी0ए0-52(1990-91)–जिला पंचायत झांसी ने अपने ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाले क्रशर/पत्थर तोड़ने वाले अथवा गिट्टी बनाने वाली मशीनों को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु विज्ञप्ति संख्या 482/23-जे0ए0-52(1973-74), दिनांक 01 दिसम्बर, 1972 तथा संशोधित विज्ञप्ति संख्या 4615/23-न्याय सहायक-52(1973-74), दिनांक 13 दिसम्बर, 1975 एवं संख्या 6210-11/23-एल0बी0ए0-52(1990-91), दिनांक 08 अगस्त, 1991 एवं संख्या 4677-78/23-एल0बी0ए0-52(1990-91), दिनांक 23 जून, 2003 द्वारा अन्तिम बार संशोधित हुई है, पुनः संशोधित किये जाने का प्रस्ताव उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 यथा संशोधित वर्ष 1994 की धारा 239(2)(च)(ड) के अन्तर्गत किया गया है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 242(2) के अधीन अधोहस्ताक्षरी द्वारा पुष्टिकृत किया जाता है तथा उक्त धारा के प्रयोजन से निम्नवत् प्रकाशित किया जाता है–

संशोधन

क्र0सं0	प्रकाशित उपविधि 26-3-2003	प्रचलित वर्तमान दरें	संशोधित/पुष्टिकृत दर
1	2	3	4
		रु0	रु0
1	क्रशर/पत्थर तोड़ने वाले अथवा गिट्टी बनाने वाली मशीन	अनुज्ञा-पत्र (लाइसेन्स फीस) निम्न प्रकार होगी–रु0 4350.00 (रु0 चार हजार तीन सौ पचास मात्र) प्रति क्रशर अथवा उसके भाग पर	अनुज्ञा-पत्र (लाइसेन्स फीस) निम्न प्रकार होगी–रु0 10,000.00 (रु0 दस हजार मात्र) प्रति क्रशर अथवा उसके भाग पर

1–लाइसेन्स की अवधि एक वर्ष अर्थात् 01 अप्रैल, से 31 मार्च तक होगी तथा आगामी वित्तीय वर्ष के लिये नवीनीकरण कराने हेतु अवधि समाप्त होने के दो मास पूर्व कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन-पत्र देना होगा, जिसका मूल्य रुपया 5 होगा।

2–प्रत्येक स्टोन क्रशर/पत्थर लाइसेन्स मालिक के लिये यह अनिवार्य होगा कि वह प्रतिवर्ष 30 अप्रैल तक जिला पंचायत, झांसी से अनुज्ञा-पत्र प्राप्त कर ले अन्यथा रु0 50 प्रतिमाह के हिसाब से जुर्माना विलम्ब के लिये देय होगा।

3–नवीन इकाई स्थापित होने की दशा में स्थापना की तिथि से एक मांह के भीतर पूरे वर्ष के लिये देय अनुज्ञा-शुल्क भुगतान करके अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। उक्त संशोधित दरें इस विज्ञप्ति के गजट के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगी।

Scanned with OKEN Scanner